94

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

निग -2734-II-16

निगरानी प्रकरण क्रमांक /2016 जिला--अशोकनगर

हरीदास पुत्र श्री भगवानदास बैरागी
निवासी शाढौरा, तहसील शाढौरा,
जिला अशोकनगर (म.प्र.

-- आवेदक

विरूद्ध

1– दयालदास पुत्र मुरलीदास बैरागी,
2-- खुमान पुत्र भगवानदास बैरागी,
3-- बनवारीदास पुत्र नारायणदास बैरागी,
निवासी शाढौरा, तहसील शाढौरा,
जिला अशोकनगर (म.प्र. — तरतीबी पक्षकार
4. म.प्र. शासन

-- अनावेदकगण

श्री ... द्वारा आज दि. 16.8.16 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट 16.8.16
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

न्यायालय अनुविभागीय दण्डाधिकारी, अनुभाग अशोकनगर द्वारा प्रकरण क्रमांक 07 /2016/धारा–145 जा.फौ. में पारित आदेश दिनांक 31.05.2016 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से यह निम्नांकित निवेदन है।

1 – यहकि, अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय दण्डाधिकारी, अनुभाग अशोकनगर का आदेश अवैध, अनुचित एवं विधि के उपबन्धों के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

2. यहकि, अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय दण्डाधिकारी, अनुभाग अशोकनगर द्वारा प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियो पर विधिवत् विचार किये बिना ही जो आदेश पारित किया है। वह नितान्त, अवैध एवं अनुचित होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

3 – यहकि, अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा एक आवेदन पत्र अनुविभागीय दण्डाधिकारी, अनुभाग अशोकनगर के समक्ष धारा 145, 107, 116(3) जा.फौ. के अन्तर्गत

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 2734/दो/2016 जिला–अशोकनगर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
7-9-16	यह निगरानी आवेदक द्वारा न्यायालय अनुविभागीय दण्डाधिकारी, अनुभाग अशोकनगर द्वारा 07/2016/धारा–145 जा. फौ. में पारित आदेश दिनांक 31.05.2016 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– प्रकरण का सारांश यह है कि अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा एक आवेदन पत्र अनुविभागीय दण्डाधिकारी, अनुभाग अशोकनगर के समक्ष धारा 145, 107, 116(3) जा.फौ. के अन्तर्गत प्रस्तुत कर बताया कि ग्राम शादौरा की भूमि सर्वे क्रमांक 438 रकवा 1.181 हैक्टेयर, सर्वे क्रमांक 508 रकवा 2.059 हैक्टेयर एवं भूमि ग्राम सेमरी शाहबाद के सर्वे क्रमांक 201 रकवा 5.487 हैक्टेयर, सर्वे क्रमांक 222 रकवा 0.042 हैक्टेयर, सर्वे क्रमांक 469 रकवा 1.683 हैक्टेयर, सर्वे क्रमांक 470 रकवा 0.742 हैक्टेयर, शासकीय भूमि राधाकृष्ण मंदिर के नाम शासकीय रिकॉर्ड में दर्ज है। मंदिर का पुजारी अनावेदक स्वंय है। उक्त भूमि पर उभयपक्ष के मध्य भूमि पर फसल बोने को लेकर विवाद कर रहे है व किसी भी समय झगडा होकर शांतिभंग हो सकती है, इसलिए भूमि की फसल को ग्राम कोटवार या ग्राम के किसी सभ्रांत निष्पक्ष व्यक्ति की सुपुर्दगी में	

दिलायी जाये। अनुविभागीय दण्डाधिकारी, अशोकनगर द्वारा एकपक्षीय आदेश दिनांक 31.05.2016 को भूमि को सुपुर्दगी में दिये जाने का आदेश पारित किया है, इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गयी है।

3- निगरानी मैमो में उठाये गये बिन्दुओ पर आवेदक अभिभाषक के तर्क सुने एवं उनकी ओर से प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किया गया।

4- आवेदक अभिभाषक ने तर्को में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकपक्षीय आदेश पारित कर भूमि को सुपुर्दगी में दिये जाने का आदेश पारित किया है, जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के प्रतिकूल है क्योंकि आवेदक वर्तमान में उपरोकत मंदिर का विधिवत नियुक्त पुजारी है, ऐसी स्थिति में उसके हित प्रभावित हो रहे हैं। अनुविभागीय दण्डाधिकारी द्वारा प्रकरण की वास्तविक स्थिति पर विचार किये बिना आदेश पारित किया है। विवादित भूमि के संबंध में पूर्व से अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष प्रकरण विचाराधीन है तथा उसमें स्थगन आदेश है। ऐसी स्थिति में जो आदेश अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया है, वह अपास्त किये जाने योग्य है। अंत निगरानी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

5- आवेदक, अभिभाषक के तर्को पर विचार किया गया एवं उनकी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजो के अवलोकन किया। वर्तमान में उपरोक्त भूमि से संबंधित प्रकरण क्रमांक 271/2014-15 अपर

आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के न्यायालय में विचाराधीन है तथा उसमें स्थगन आदेश दिनांक 28.08.2015 पारित किया गया है, ऐसी स्थिति में जो आदेश अनुविभागीय दण्डाधिकारी, अनुभाग अशोकनगर द्वारा पारित किया गया है, स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदक को सूचना, सुनवाई साक्ष्य का विधिवत अवसर प्रदान किये बिना ही जो आदेश पारित किया है, वह नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के प्रतिकूल होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। इस संबंध में 2007(2) एस.सी.सी. 181, 2008(14) एस.सी.सी. 151 एवं ए.आई.आर.1991, एस.सी. 1216 ए.आई.आर.198, एस.सी. 136, 2010 आर.एन. 101 उच्च. न्याया. द्वारा न्यायदृष्टांतों में स्पष्ट किया गया है कि सुनवाई का अवसर प्रदान किये जाने का कानूनी उपबंध नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत लागू होगा, ऐसी स्थिति में जो आदेश अनुविभागीय दण्डाधिकारी, अनुभाग अशोकनगर द्वारा पारित किया गया है, वह विधिवत एवं उचित नहीं है। इस प्रकार अनुविभागीय दण्डाधिकारी, अनुभाग अशोकनगर द्वारा उपरोक्त वैधानिक स्थितियों पर विधिवत विचार किये बिना प्रकरण में जो कार्यवाही की गयी है, वह स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

7- उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर अनुविभागीय दण्डाधिकारी, अनुभाग अशोकनगर द्वारा प्रकरण क्रमांक 07/2016 /धारा-145 जा.फौ. में पारित आदेश दिनांक 31.05.16 त्रुटि पूर्ण होने से निरस्त किया जाता है।

सदस्य